



2026:AHC:181443

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30246 / 2026

संजीव @ संजय

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रोहित कुमार सिंह

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित कुमार सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 279/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 131, 115(2), 352, 117(2), 351(2) एवं 103(1) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - बरौत, जिला - बागपत में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में पांच अन्य लोगों के साथ दर्ज है और एफआईआर के अनुसार, विवाद के चलते आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने अपने-अपने हथियारों से सूचनादाता के पिता पर हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं, किन्तु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में इस मामले की एफआईआर धारा 109 बीएनएस और अन्य अपराधों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी, किन्तु घायल की मृत्यु

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अर्थात् सूचनादाता के पिता की मृत्यु के पश्चात, मामले को धारा 103 (1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है और अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुल छः अभियुक्तों ने मृतक को बुरी तरह पीटा था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को सात चोटें आई थीं, किन्तु सभी बाहरी चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी मृत्यु सिर की चोटों के कारण हुई थी। आगे यह भी कहा गया है कि खोपड़ी के नीचे रक्तस्राव (हेमाटोमा) मौजूद था, इसलिए प्रथम दृष्टया भी यह मामला धारा 105 बीएनएस से आगे नहीं बढ़ता है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त मुकेश को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27681/2026 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 11.5.2026 से अर्थात् पिछले तीन माह से जेल/कारागार में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

10. हालांकि, आवेदक का नाम पांच अन्य लोगों के साथ एफआईआर में दर्ज है, किन्तु सभी अभियुक्तों को मात्र सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

11. इसके अतिरिक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को सात चोटें आई थीं, किन्तु सभी बाहरी चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं। शव परीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मृतक की मृत्यु सिर में चोट लगने से हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, खोपड़ी के नीचे पाए गए रक्तस्राव (हेमाटोमा) के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को इस स्तर पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामला धारा 105 बीएनएस से आगे नहीं जाता है।
13. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त मुकेश को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान ही है।
14. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 11.5.2026 से अर्थात् पिछले तीन माह से जेल/कारागार में है।
15. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।
16. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
17. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - संजीव @ संजय को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-
 - (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
18. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 31, 2026

एके पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।